



जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक :-F-(200)JDA/OSD(RM)/15-16/D- 1584

दिनांक :- 20-11-15

संशोधित कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक F-(200)JDA/OSD(RM)/15-16/D-1374-1375 दिनांक 17.09.15 की निरन्तरता में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 6.11.2015 के एजेण्डा संख्या 199:24 में निर्णयानुसार आरक्षित दरो से सम्बन्धित आदेश दिनांक 17.09.2015 से पूर्व अर्थात् दिनांक 16.09.2015 तक जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी किये गये हैं। उनमें मांग राशि नियमानुसार निर्धारित मूल अवधि तक पूर्व दरो के अनुसार जमा कराई जा सकेगी।

नीलामी प्रकरणों में शहरी जमाबन्दी की गणना नीलामी दिनांक को प्रभावी आरक्षित दर के अनुसार होगी।

लेकिन जिन प्रकरणों में पूर्व स्पष्टीकरण समसंख्यक आदेश दिनांक 06.10.2015 के अनुसार यदि राशि जमा हो गई है तो, उन प्रकरणों को रिफण्ड हेतु पुनः नहीं खोला जावेगा।

s.d.
(देवराज सिंह)
निदेशक (वित्त)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/विधि/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/आयोजना/परियोजना, जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट/संसाधन एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) जविप्रा, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त जोन उपायुक्तगण, जविप्रा, जयपुर।
12. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
13. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

s.d.
(देवराज सिंह)
निदेशक (वित्त)
जयपुर विकास प्राधिकरण,